

7-11-24

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया अनुपस्थित,
वादिया ऐव वादिया के अधिवक्ता को कितनी
बार कक-कक कर आवाजे डिलायीजाने

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील वादिया के
अनुपस्थित रहने से वादिया का वाद पत्र
अदम घजरी / अदम पैखी में खारीज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
अम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भांडल जिला भीलवाड़ा